प्रेस नोट
दिनांक 05.05.2025

थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0–60/25, धारा 191(2),191(3),190,190(1),352,115(2),324(4),118(1) बीएनएस व 3(2)(5) एस0सी0एस0टी0 एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रामकैलाश पाण्डेय पुत्र रामप्रताप नि0 ग्राम किनकी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा को हड़हवा रोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 28.04.2025 को वादी जगप्रसाद पुत्र श्यामलाल नि0 किनकी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना मोतीगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि प्रार्थी का ड्राइवर राजू सोनकर गांव के सोहनलाल के गेंहू की मढाई करने गया था तभी विपक्षीगणों द्वारा राजू सोनकर को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारा–पीटा था तथा ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया था। प्रार्थी का लड़का दीनानाथ व नाती अविनाश अपनी स्विफ्ट कार से डायल–112 के साथ ट्रैक्टर छुडवाने विपक्षीगणों के यहां गया था। ट्रैक्टर छुटवाने के बाद प्रार्थी का लड़का अपनी कार से घर आ रहा था। तभी विपक्षीगणों द्वारा प्रार्थी के लड़के व नाती को जबरन रोककर जान से मारने की नियत से सरिया, तलवार व लाठी से हमला कर दिया। जिससे प्रार्थी के लड़के दीनानाथ को गम्भीर चोटे आयी है। वादी की तहरीर पर थाना मोतीगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 05.05.2025 को थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त रामकैलाश पाण्डेय को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. रामकैलाश पाण्डेय पुत्र रामप्रताप नि0 ग्राम किनकी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0स0–60/25, धारा 191(2),191(3),190,190(1),352,115(2),324(4),118(1) बीएनएस व 3(2)(5) एस0सी0एस0टी0 एक्ट थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम–

01. उ0नि0 नीरज कुमार।
02. का0 गंगाशरण यादव।
03. का0 महेश निषाद।

मीडिया सेल, गोण्डा।